रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275969
CG-DL-E-03092026-275969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4671] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948
No. 4671] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 4858(अ).— जबकि मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/ओ टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेंटर, ए ब्लॉक, 34 संत तुकाराम रोड, कार्नाक बंदर, मुंबई-400009, भारत, में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "कर्नाटक के कोप्पल में स्थित मेसर्स टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 288 मेगावाट विंड पॉवर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/59/2025-PG दिनांक 11.06.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "कर्नाटक के कोप्पल में स्थित मेसर्स टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 288 मेगावाट विंड पॉवर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली"के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका (हिंदी) दिनांक 17.10.2025, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 17.10.2025, विजयवानी (कन्नड़) दिनांक 17.10.2025 और

भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 27.12.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियाँ / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 24.06.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई (0) टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "कर्नाटक के कोप्पल में स्थित मेसर्स टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 288 मेगावाट विंड पॉवर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आती हैं:

(i) मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड गाडगेरी गांव येल्बुर्गा तालुक, कोप्पल जिला, कर्नाटका में स्थित) – कोप्पल-II पीएस (आईएसटीएस एस/एस) 220 केवी एस/सी लाइन डी/सी टॉवर्स पर।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक राज्य के निम्नांकित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

गांव के नाम	तहसील	जिला	राज्य
विरापुर, गाडगेरी, गुडगुंती, चिक मेगेरी, लक्ष्मणगुड्डा, वांगेरी	येल्बुर्गा	कोप्पल	कर्नाटक
बालापुर, रावुनकी	कुकनूर	कोप्पल	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/60/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2026

S.O. 4858(E).— Whereas M/s TATA Power Renewable Energy Ltd., the applicant with its registered Office at C/o Tata Power Renewable Energy Limited, Corporate Centre, A Block, 34 Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai-400009, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. for its 288 MW Wind Power Project at Koppal, Karnataka”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/59/2025-PG dated 11.06.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. for its 288 MW Wind Power Project at Koppal, Karnataka”.

M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. had published notice for transmission scheme in local newspapers Rajasthan Patrika (Hindi) dated 17.10.2025, The New Indian Express (English) dated 17.10.2025, Vijayavani (Kannada) dated 17.10.2025 and Weekly Gazette of India dated 27.12.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. has submitted an affidavit dated 24.06.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of publication of public notice.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. for its 288 MW Wind Power Project at Koppal, Karnataka”. The following overhead line is covered under this scheme:

(i) Generation Pooling Station of M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. (Generation Switchyard located at Gadgeri Village, Yelburga Taluk, Koppal District, Karnataka) – Koppal-II PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c towers

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities Karnataka:

Name of the villages	Tehsil	District	State
Wirapur, Gadgeri, Gudgunti, Chik Megeri, Lakshmangudda, Wangeri	Yelburga	Koppal	Karnataka
Balapur, Ravunki	Kuknoor	Koppal	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above-mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/60/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2026.09.03 22:10:02 +05'30'